

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/शिका.) विभाग

क्रमांक प. 2(2)(37)का/क-3/शिका./2014

जयपुर, दिनांक 5/5/14

आदेश

डॉ० राजवीर आर्य, आचार्य सर्जरी, यूनिट हैड-4, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 153/2014 अन्तर्गत धारा 7,13(1)(डी) एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दण्डनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर दिनांक 16.4.14 को गिरफ्तार किया गया तथा डॉ० राजवीर आर्य 48 घण्टे से अधिक पुलिस/न्यायिक हिरासत में रहे हैं।

अतः राज्य सरकार राज. सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० राजवीर आर्य, आचार्य सर्जरी, यूनिट हैड-4, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को दिनांक 16.4.14 से निलम्बित माने जाने (Deemed to have been suspended) के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

डॉ० राजवीर आर्य, आचार्य सर्जरी, यूनिट हैड-4, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।


राज्यपाल महोदय के आदेश से,



(राजेश कुमार चौहान)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर को डॉ० राजवीर आर्य, आचार्य सर्जरी, यूनिट हैड-4, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ० राजवीर आर्य, आचार्य सर्जरी, यूनिट हैड-4, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें एवं डॉ० राजवीर आर्य, आचार्य सर्जरी, यूनिट हैड-4, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नही छोड़ें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन के अवकाश पर रहते के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
6. डॉ० राजवीर आर्य, आचार्य सर्जरी, यूनिट हैड-4, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
7. कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग
8. कोषाधिकारी, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


(रामस्वरूप शर्मा)
सहायक शासन सचिव